

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा के अन्तर्गत 30 प्र० राज्य सेतु लि० आगरा में एन०एच०-2 से एन०एच०-3 को जोड़ने हेतु रूनकता से रोहता मार्ग (दक्षिणी बाईपास) पर ईदगाह-बयाना रेल सेक्शन के किमी० 73/7-8 पर स्थित सम्पार संख्या-11 सी/2 टी पर 04 रेल उपरिगामी के निर्माण हेतु 0.06400 हे० संरक्षित वनभूमि (आगरा टर्मिनल डिस्ट्रीक्टरी नहर के मील 11 पर) गैर वानिकी प्रयोग एवं 26 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/147942/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-160/81-2-2022-800(154)/2022 दिनांक 24 जून 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

Date: 23-06-2022 16:25:03

Reason: Approved

हस्ताक्षर

(आशीष तिवारी) और पदनाम सरकारी मोहर सहित

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग,
राज्य शासन।